

उत्तराखण्ड से भुंकुंधित परिशिष्ट। [प्रियंका - ३१/३/2018]

परिशिष्ट 'सत्तर'

प्रश्न सं. [क. 2306]

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना म.प्र.

परिशिष्ट - अ

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2306 के प्रश्न खण्ड (क) से संबंधित जानकारी

| क्रमांक | छात्रावास का नाम | दर्ज / लाभांवित छात्राओं की संख्या |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | बालिका छात्रावास पनवाड़ी हाट (आरोन) | 100 |
| 2 | बालिका छात्रावास फतेहगढ़ (बमोरी) | 100 |
| 3 | बालिका छात्रावास चाचौड़ा | 125 |
| 4 | बालिका छात्रावास गुना | 100 |
| 5 | बालिका छात्रावास बरसत (राघौगढ़) | 100 |
| | योग- | 525 |

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला गुना म.प्र.

गुना अधिकारी
कल शिक्षा विभाग
प्राप्ति २

अतारांगिका उद्योग आमंक २३०६ प्र० अ० २००८ (०१) से संबंधित
वालिका छात्रावास - निर्देश कमांक - १५

प्रिश्चिन्ता (ब)

छात्रावास में प्रदर्शन की जा रही सुविधाओं का प्रचार प्रसार एवं प्रदर्शन

- छात्रावास में वालिकाओं को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इनके फ्लेक्स तैयार कर छात्रावास के विभिन्न कक्षों में प्रदर्शित करें-
- निःशुल्क भोजन - चाय / दूध, नाश्ता, दो वक्त का भोजन। नाश्ते एवं भोजन का मीनू वालिकाओं की भोजन समिति द्वारा तय किया जाएगा।
- निःशुल्क आवास - गददा, चादर, रजाई / कंबल वालिकाओं के लिये टायलेटरी आवश्यक सामग्री -

सामग्री व्यय - छात्रावास में वालिकाओं को निम्नानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जा सकेगी।

निजी उपयोग के लिये:- निम्नानुसार सामग्री प्रत्येक दर्ज वालिका को उपलब्ध कराई जायेगी:-

| क्र. | सामग्री | संख्या | वितरण माह |
|------|---|--------|--------------------------|
| 1 | नाइट ड्रेस | 1 जोड | आगस्त |
| 2 | कंघी, जीभी, ब्रश, नेलकटर, 2 जोड़ी अण्डर गार्मेंट्स | | जुलाई, अगस्त |
| 3 | स्वेटर | 1 | अक्टूबर / नवम्बर |
| 4 | वालिकाओं को अपना सामान खेने हेतु दो प्लास्टिक के बाकरा - 1 बाथरूम किट के लिए एवं 1 अन्य सामान हेतु प्रत्येक वालिका को उसकी आवश्यकतानुसार सेनेटरी नेपकिन, साबुन, साबुनदानी तेल, पेस्ट, बिंदी, केवल मेडिकर शेम्पू बोरे, कीम, सुई धागा, सेक्टी पिन | | प्रति माह 50/- के नान से |
| 5 | अन्य सामग्री आवश्यकतानुसार | | |
| | | | |

आपातकालीन सहायता हेतु हेल्पलाईन अथवा निकटस्थ पुलिस थाने का दूरभाष कमांक, डॉक्टर, कलेक्टर, संस्था प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के दूरगाढ़ कमांक भी अंकित किए जाएंगे।

वालिका
नव शिक्षा विभाग
काम-३

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-गुजरात (म.प्र.)